न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **66/2017**

GCMS No. : **2017/00139**

प्रार्थी :- बनाम अप्रार्थीगण :-

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. दुलाराम पुत्र मिश्रुराम
कौम– घांची, निवासी– जैतारण,
तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू – : 03.04.2017

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 05/11/2020**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी के सरहद मौजा जैतारण में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 517/14 रकबा 10–14 किस्म बारानी दौयम लगान 3.32 प्रतिवर्ष के है। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि भूमि का अकृषि भूमि शराब की दुकान बनाकर उपयोग में ली जा रही है। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में रकबा 0–04 किस्म बारानी दोयम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर शराब की दुकान बनाकर उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा जैतारण तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 517/14 रकबा 10–14 किस्म बारानी दौयम लगान 3.32 प्रतिवर्ष आई हुई। जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनॉक 14.03.2017 का प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो समयावधि में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल किया जावें।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र पेया करने हेतू अनेकानेक एवं अंतिम से अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय [illegible] की गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवल[illegible] से [illegible]

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2020.11.27 16:05:27 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्ट है कि अप्रार्थी खातेदार द्वारा खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 517/14 रकबा 10–14 बीघा में से 0–04 बीघा भाग पर शराब की दुकान बनाकर संचालित करनें कृषि भूमि का अकृषि (वाणिज्यिक) प्रयोजन में उपयोग किया है, तथा ऐसा करनें के लिए खातेदार द्वारा सक्षम अधिकारी से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की है। पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2017 से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अप्रार्थी खातेदार सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहा हैं तथा इस बाबत् कौई प्रत्युत्तर एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस प्रकार भूमिधारी (तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र भली–भाँति साबित होता है तथा अप्रार्थी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति के मौके पर शराब की दुकान स्थापित एवं संचालित कर अकृषि (वाणिज्यिक) कार्य करना साबित होता हैं, जो कि कृषि भूमि के लिए क्षतिकारण कार्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए मौका रिपोर्ट में उल्लेखित रकबाा 0–04 बीघा भूमि को खातेदारी से कम करते हुए सिवाय चक दर्ज करना एवं मौके से अप्रार्थी एवं इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को बेदखल कर कब्जा राज लिया जाना विधिसंगत होगा।

–: *आदेश* :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम– जैतारण, तहसली– जैतारण के खसरा संख्या 517/14 रकबा 10–14 किस्म– बारानी दोयम में से 0–04 बीघा भूमि जो पटवारी रिपोर्टम में अंकित है, मे से खातेदार एवं अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए इसे सिवाय चक, खाता सरकार दर्ज करनें एवं मौके से अप्रार्थी एवं इसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति ज़ो भी हो को बेदखल करते हुए कब्जा राज लिए जानें हेतू तहसीलदार, जैतारण को निर्देश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 05/11/2020 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2020.11.27 16:05:27 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: प्रार्थी :- बनाम -: अप्रार्थीगण :-

2. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

2. दुलाराम पुत्र मिश्रुराम
कौम- घांची, निवासी- जैतारण,
तहसील- जैतारण, जिला- पाली
राज0।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 66/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः माफिक राजस्व रेकर्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम- जैतारण, तहसली- जैतारण के खसरा संख्या 517/14 रकबा 10-14 किस्म- बारानी दोयम में से 0-04 बीघा भूमि जो पटवारी रिपोर्टम में अंकित है, मे से खातेदार एवं अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए इसे सिवाय चक, खाता सरकार दर्ज करनें एवं मौके से अप्रार्थी एवं इसके द्धारा अधिकृत अन्य व्यक्ति जो भी हो को बेदखल करते हुए कब्जा राज लिए जानें हेतू तहसीलदार, जैतारण को निर्देश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.... ..फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 05/11/2020 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	Nil		मिजानः-	01	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को यह डिक्री के ... दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.27 16:05:27 IST
Reason: SelfAttested